

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-269 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

बुधराम महली

- विक्रेता

सलोनी मुण्डा

- क्रेता

देश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

08.02.19

आदेश

आवेदक बुधराम महली पिता स्व0 धुमा महली ग्राम-बनकुली, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने सलोनी मुण्डा पति श्री मंगल मुण्डा ग्राम-कुलहुटू लोधमा रोड, कर्रा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बनकुली	172	26	139	0.15

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं0 1499256249 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 120 दिनांक 04.02.2019 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम अकला महली वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार अकला महली वगैरह के नाम भूमि का रकबा 5.20 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.60 एकड़ एवं अन्य खाता से 2.20 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014-15 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 6250.00(छः हजार दो सौ पच्चास)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 2.55 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण बुधराम महली पिता स्व0 धुमा महली को सलोनी मुण्डा पति श्री मंगल मुण्डा के साथ ग्राम बनकुली के खाता सं0 26 खेसरा संख्या 139 का रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6250.00(छः हजार दो सौ पच्चास)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

08/02/19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

08/02/19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।